

फर्द अहकाम
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गछोदरा जमवारामगढ़,
 जयपुर

रामसिंह बनाम राज्य सरकार

वाद पत्र संख्या 118/2021

09-09-2021 वादी की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल बैरवा ने वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88 आर.टी. एक्ट में पेश किया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर नोटिस प्रतिवादी को जारी हो। पत्रावली दिनांक 27-09-2021 को पेश हो।

नोटिस जारी 5925

उपखण्ड अधिकारी 0-9-21 जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

27/9/21 : पत्रावली पेश हुई। पत्रावली जारी उपय पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तैलबी/जवाब दिनांक 3/11/21 को पेश हो।

3/11/21 पत्रावली आज प्रशासन गांधी के अभियान 2021 के अंतर्गत पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10/11/21 को पेश हो। पत्रावली के अंतर्गत शिविर प्रभारी उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

10/11/21 पत्रावली पेश हुई। वादी उपय पत्रावली का कियलोकन किया। जारी नोटिस तालीम होकर प्राप्त नहीं हुआ। इतना प्रतिवादी को पत्रावली जारी होकर पत्रावली दिनांक 28/09/21 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जिला-जयपुर

28/1/22

पत्रावली पेश हुई, अधिवक्ता सच हउ
पडोलेस/कासे का अधिकार करने प
पत्रावली पूर्वानुसार 27/1/22 को हउ

07/04/22

पत्रावली पेश हुई। प्रकीर्ण वादी उपय
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलाबी/जल्द डालिये कयना
दिनांक 11/5/22 को पेश हो।

उपसहय अधिकारी
जनसुरागढ, जिला-जयपुर

11/7/22

पत्रावली पेश। प्रकीर्ण वादी
के काण भी तलबना/नोरीत काण
पेश नही किये। इतना तलबना
नोरीत के काम में उतरण को
09/5/22 को तलब किये जाते है।
पत्रावली पूर्वानुसार
शुभार के लिए नोरीत काण को
बाद में डालिये इष्ट रहे।

उपसहय अधिकारी
जनसुरागढ, जिला-जयपुर